नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम

1. देश में आरटीई की पहली मांग कब की गई थी?

गोपाल कृष्ण गोखले 18 मार्च को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चले गए,

1910 में भारत में 'मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' के प्रावधान की मांग

हालांकि घटनाओं के निम्नलिखित अनुक्रम के हिस्से के रूप में पहल को देखा जाना चाहिए:

2. संविधान का मूल अनुच्छेद 45 कैसे आया था?

1946: संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू किया

१ ९ ४ Committee: खेर समिति ने प्राप्ति के तरीके और साधन तलाशने के लिए स्थापित किया

कम लागत पर दस साल के भीतर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा।

1947: मौलिक अधिकारों पर संविधान सभा उपसमिति मुक्त स्थान

और बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य शिक्षा।

3. मौलिक अधिकारों की सूची पर अनिवार्य शिक्षा की मांगों का संक्षिप्त विवरण

"खण्ड 23- प्रत्येक नागरिक को इसका अधिकार है ... प्राथमिक शिक्षा मुफ्त करने का अधिकार है और यह होगा

के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर प्रदान करने के लिए राज्य का कर्तव्य

जब तक वे सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए यह संविधान

चौदह वर्ष की आयु पूरी करें। ” 1947 (अप्रैल): संविधान सभा की सलाहकार समिति मुक्त और अस्वीकार करती है

एक मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य शिक्षा (कारण होने की लागत)। सूची के लिए खंड भेजता है

"गैर-न्यायसंगत मौलिक अधिकारों" के रूप में (बाद में इसे राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में कहा गया

नीति ')।राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 को स्वीकार किया जाता है, “राज्य इसके लिए प्रयास करेगा

संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर प्रदान करना; मुक्त करने के लिए

और सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते ”।

1949: संविधान सभा में बहस 'अनुच्छेद 36' की पहली पंक्ति को हटाती है ... "हर

नागरिक मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के रूप में हकदार है और यह राज्य का कर्तव्य होगा

को .. "और इसके स्थान पर" राज्य प्रयास करेगा .. "

अनुच्छेद 21 का संदर्भ है 'इस देश के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार है शिक्षा'। यह अधिकार हालांकि पूर्ण अधिकार नहीं है और शिक्षा का उसका अधिकार है

राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अधीन। लेख

21 संविधान में 'शिक्षा का अधिकार' सम्मिलित किया गया और कहा गया, 'राज्य करेगा

6 वर्ष 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। '

4. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बच्चे की आयु पूरी होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की
१४ तक एक सही (उन्नीकृष्णन और अन्य बनाम राज्य आंध्र प्रदेश और अन्य) बताते हुए कहा
वह: "इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। सही कहा।"
अनुच्छेद 21 से प्रवाह। यह अधिकार, हालांकि, पूर्ण अधिकार नहीं है। इसकी सामग्री और
पैरामीटर्स को अनुच्छेद 45 और 41 के प्रकाश में निर्धारित किया जाना है। दूसरे शब्दों में, हर
इस देश के बच्चे / नागरिक को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है जब तक कि वह उम्र पूरी नहीं कर लेता
चौदह साल। इसके बाद शिक्षा का उनका अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा के अधीन है
और राज्य का विकास। "

5. 86 वां संशोधन क्या है?

उन्नीकृष्णन निर्णय और एक सार्वजनिक मांग के अधिकार को लागू करने के लिए प्रेरित किया
1993 से शिक्षा, क्रमिक सरकारों ने एक लाने की दिशा में काम किया
शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन। जिसके चलते 86 वां स्थान मिला
दिसंबर 2002 में संशोधन जिसने संविधान में निम्नलिखित लेख डाले:
1. नए अनुच्छेद 21A की प्रविष्टि- संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद, निम्नलिखित
लेख को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: - शिक्षा का अधिकार। "21A। राज्य प्रदान करेगा
छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
राज्य द्वारा इस तरह के तरीके, कानून द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं। "
2. संविधान के अनुच्छेद 4.5 के लिए नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, निम्नलिखित
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -।
छह साल से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।
'1 \ rticle 4.5। राज्य बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा
सभी बच्चों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। ”
3. अनुच्छेद का संशोधन ।51 ए- संविधान के अनुच्छेद .51 ए में, खंड के बाद
(जे), निम्न खंड अर्थात् जोड़ा जाएगा: -
"(के) जो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माता-पिता या अभिभावक हैं, या
जैसा भी हो, छह से चौदह साल की उम्र के बीच का वार्ड। "

6. ऐसा कहा जाता है कि 86 वां संशोधन उन्नीकृष्णन से अलग हो गया निर्णय; कैसे?

मूल सिद्धांतों के मूल अनुच्छेद 4.5 में '14 तक' शब्द का इस्तेमाल किया गया था
साल 'और उन्नीकृष्णन के फैसले ने कहा' जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता '। दोनों
इन परिभाषाओं में आयु वर्ग 0-6 वर्ष है। अनुच्छेद 21 ए ने आयु वर्ग को प्रतिबंधित कर दिया
6 से 14 तक, जिससे दाईं ओर 0-6 आयु वर्ग हो; इसे नए को सौंपना
निर्देश के सिद्धांतों के अनुच्छेद 4.5। उन्नीकृष्णन निर्णय आगे देखा गया था
शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में था और आर्थिक पर आकस्मिक नहीं होगा
14 वर्ष की आयु तक राज्य की क्षमता। अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि यह लागू होगा
'इस तरह से राज्य के रूप में, कानून द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं'। तो यह एक पर आकस्मिक बना दिया गया था
कानून जो राज्य ला सकता है। यह अधिनियम वह कानून है, और इसमें और आठ साल लग गए
86 वें संशोधन के पारित होने के बाद से। तो यह अधिकार होने में सत्रह साल लग गए
उन्नीकृष्णन फैसले के बाद से लागू किया गया, वह भी 6 से 14 आयु वर्ग के लिए
वर्षों। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह संसदीय स्थायी समिति थी
शिक्षा जो 86 वें वर्ष के लिए आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष की सिफारिश की है
संवैधानिक संशोधन, प्रतिबंधित आयु वर्ग के लिए मार्ग प्रशस्त।

7. 2009 अधिनियम के अनुसार घटनाओं का क्रम क्या था?

दिसंबर 2002 में 86 वें संशोधन के बाद निम्नलिखित कार्रवाई की गई
हुआ:

1. 2008: बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2008 (NDA सरकार)
2. 2004: बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2004 (एनडीए सरकार)
3. 2005: शिक्षा का अधिकार बिल, 200.5 (जून) (CABE बिल) (UPA I सरकार)
4. 2005: शिक्षा का अधिकार विधेयक, 200.5 (अगस्त) (UPA I सरकार) +
5. 2006: केंद्रीय कानून को त्याग दिया गया। राज्यों को अपने आधार पर अपने बिल बनाने की सलाह दी
द मॉडल राइट टू एजुकेशन बिल, 2006 (UPA I सरकार) 2008/9: केंद्रीय कानून
को पुनर्जीवित किया। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य बिल का अधिकार, 2008, राज्य में पारित किया गया
अगस्त 2009 में राष्ट्रपति और लोकसभा, राष्ट्रपति की सहमति।
हालाँकि, अधिनियम की अधिसूचना और 19 फरवरी को जारी 86 वें संशोधन,
2010 के भारत के राजपत्र में, यह कहते हुए कि कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2010 से शुरू होगा,
राष्ट्रपति के आश्वासन के आठ महीने बाद। (यूपीए II सरकार)। ध्यान दें कि शब्द

'राइट' बिल के पहले दो ड्राफ्ट में गायब था और 200.5 सीएबीई से उपयोग किया गया था
बिल बाद में। राज्य की प्राथमिकता में 2006 में केंद्रीय कानून को गिरा दिया गया था
एक टोकन मॉडल विधेयक के मसौदे के आधार पर विधान, आवर्ती 'केंद्रीय संसाधनों की कमी' के लिए
तर्क, लेकिन यह स्वतंत्र वित्तीय अनुमानों के आधार पर गहन सार्वजनिक दबाव था
इससे 2008 में केंद्रीय कानून को पुनर्जीवित करना और वापस लाना संभव हो गया।

• The मुक्त 'की परिभाषा जो ट्यूशन फीस से परे है

• माता-पिता पर तनाव के बजाय सरकारों पर 'मजबूरी' का होना
भेदभाव समाप्त करना, और समावेश पर।

• शिक्षण-शिक्षण प्रक्रिया के लिए गुणवत्ता के सिद्धांतों का वर्णन करना

• न्यूनतम मानदंडों को परिभाषित करने वाले अधिनियम की निगरानी के लिए एक बाहरी संवैधानिक निकाय और
स्कूल के लिए मानक अधिनियम की निगरानी के लिए एक बाहरी संवैधानिक निकाय।

• बच्चों के भावनात्मक, तनाव और चिंता मुद्दों को संबोधित करना

एक्ट भी गतिमान है क्योंकि इसे लाने में सौ साल से अधिक समय लगा
भारत की आजादी की लड़ाई के मीलिलेपोस्ट के रूप में 18.57 युद्ध, नब्बे साल लगे,
1947 तक, इसके लिए एक वास्तविकता बन गई। लेकिन शिक्षा के अधिकार के लिए, यह एक लिया है
देश के स्वतंत्र होने के बाद उन वर्षों में से अब तक, दो दशक।
यह अधिनियम को बहुत गंभीर ऐतिहासिक महत्व देता है।

8. आरटीई अधिनियम 2009 कब लागू हुआ?

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 (केंद्रीय अधिनियम 35)
2009) 1stApril2010 से प्रभावी हो गया है।

9. अधिनियम क्या अधिकार प्रदान करता है?

6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्र और अनिवार्य का अधिकार होगा
पड़ोस के एक स्कूल में शिक्षा का प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता। के साथ एक बच्चा
विकलांगों को भी मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा
18 वर्ष की आयु तक।

10. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश किसने जारी किए हैं?

स्कूल शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार ने इस बारे में दिशानिर्देश तैयार किए
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मॉडल दिशानिर्देशों की लाइनें।

11. अधिनियम के तहत कौन से क्षेत्र शामिल हैं? या अधिनियम कहाँ तक विस्तारित होता है?

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित होगा।

12. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियम क्या कहलाते हैं?

नियमों को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य करने के लिए तमिलनाडु का अधिकार कहा जा सकता है
शिक्षा नियम, 2011. (G.O. (सुश्री) 173, दिनांक 08.11.2011)। यह शक्तियों के आधार पर जारी किया जाता है
नि: शुल्क और अनिवार्य बच्चों के अधिकार के खंड 38 के उप खंड (1) द्वारा सम्मानित किया गया
शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम। 35), तमिलनाडु का राज्यपाल बनाता है
नियम।

I3। Education मुक्त शिक्षा 'का निहितार्थ क्या है?

'फ्री एजुकेशन' का मतलब अक्सर ट्यूशन फीस माफ करना है, क्योंकि गरीब परिवार हैं
अक्सर शिक्षा के लिए आवश्यक अन्य खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। उसमे समाविष्ट हैं
पाठ्यपुस्तकों, वर्दी, परिवहन, विकलांग बच्चों के लिए समर्थन सामग्री (सुनवाई)
एड्स, चश्मा, ब्रेल पुस्तकें, बैसाखी) या यहां तक कि पुस्तकालय और प्रयोगशाला शुल्क।

14. अनिवार्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है?

यह अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक को पूरा करने को संदर्भित करता है
शिक्षा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्चा काम कर रहा है
टीशोप, घर आदि, जब स्कूल कार्य कर रहा होता है, सरकार उसका। का उल्लंघन कर रही होती है
मौलिक मैं सही हूं। सभी बच्चों को यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है
स्कूल जाते हैं और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं।

15. 'एक्स्टेंट ऑफ़ स्कूल की ज़िम्मेदारी मुक्त' से क्या मतलब है ,अनिवार्य शिक्षा?

सभी निजी स्कूल (खंड 2 का उपखंड iii और iv) खंड 2 के खंड (एन) प्रदान करेगा और
कक्षा। में उस कक्षा के बच्चों की शक्ति का कम से कम 25% हिस्सा है
पड़ोस में कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंधित और
इसके पूरा होने तक मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें।

16. 'उपयुक्त सरकार' का क्या अर्थ है?

उपयुक्त सरकार का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और
केंद्रशासित प्रदेश जो स्कूलों के कामकाज को स्थापित या नियंत्रित करता है।

17. 'कैपिटेशन फीस' का क्या अर्थ है?

'कैपिटेशन फीस 'का मतलब किसी भी तरह के दान या योगदान या भुगतान के अलावा है स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क।

18. वंचित समूह से संबंधित 'बच्चा' किसके अधीन आता है?

जी। ओ। (सुश्री) सं। १४ ,४ के अनुसार, स्कूल शिक्षा (सी २) विभाग, तमिल सरकार
नाडु (अधिसूचना -1)। दिनांक 08.11.2011, वंचित समूह से संबंधित बच्चे का अर्थ है a
बच्चा जो एक अनाथ है या एचआईवी या एक ट्रांसजेंडर या एक मेहतर के बच्चे से प्रभावित है
अधिनियम में दी गई परिभाषा के अलावा, एससी, एसटी, सामाजिक रूप से संबंधित एक बच्चा और
शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूहों को, जिनके कारण सामाजिक नुकसान होता है,
सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारक।

19. 'कमजोर वर्ग का बच्चा' किसके अधीन आता है?

जी। ओ। (सुश्री) सं .74, स्कूल शिक्षा (C2) विभाग, सरकार के अनुसार। तमिल के
नाडु (अधिसूचना- III), दिनांक। 08.11.2011, कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे का मतलब है a
ऐसे माता-पिता या अभिभावकों से संबंधित बच्चे जिनकी वार्षिक आय से कम है
Rs.2,00,000 / - (केवल दो लाख रुपए)।

20. 'जनक' का क्या अर्थ है?

'अभिभावक' का अर्थ है प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या बच्चे की माँ।

21. 'अभिभावक' का क्या अर्थ है?

बच्चे के संबंध में 'गार्जियन' का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास मामला हो और हिरासत में हो
उस बच्चे और एक प्राकृतिक अभिभावक या संरक्षक शामिल हैं या एक अदालत द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है
या क़ानून।

22. क्या किसी बच्चे को स्कूल की पढ़ाई करने से रोका जा सकता है अगर वह कोई फीस नहीं देता है या नहीं शुल्क?

नहीं। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के शुल्क या शुल्क या व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने और पूरा करने से उसे या उसे रोका जा सकता है
अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (i)।

23. क्या छह साल से ऊपर का बच्चा स्कूल में दाखिला लेने का दावा कर सकता है?

हाँ। अधिनियम की धारा 4 के तहत, छह वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा जो नहीं रहा है
किसी भी स्कूल में दाखिला लिया गया या दाखिला लिया गया, लेकिन वह अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सका

शिक्षा, तो वह कक्षा में उसकी या उसकी उम्र के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

24. आयु-उपयुक्त कक्षा में भर्ती बच्चों के लिए क्या प्रावधान है?

आयु-उपयुक्त कक्षा में भर्ती बच्चों को विशेष प्राप्त करने का अधिकार है
प्रशिक्षण। विशेष प्रशिक्षण विशेष रूप से डिज़ाइन की गई शिक्षण सामग्री पर आधारित होगा
शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित।

25. विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कौन करेगा? कौन करेगा बच्चों को ऐसे विशेष प्रशिक्षण दें?

स्कूल प्रबंधन समिति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी
प्रशिक्षण। स्कूल में काम करने वाले शिक्षक या शिक्षकों के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए जाते हैं
उद्देश्य विशेष प्रशिक्षण की पेशकश करेगा।

26. विशेष प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाएगा?

विशेष प्रशिक्षण स्कूल के परिसर में या कक्षाओं के माध्यम से आयोजित किया जाएगा
हेड टीचर द्वारा पहचाने गए स्थानों पर आयोजित।

27. विशेष प्रशिक्षण की अवधि क्या है?

विशेष प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन महीने के लिए होगी
जिसे सीखने के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर दो साल तक बढ़ाया जा सकता है
बच्चों की प्रगति।

28. बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य बाकी बच्चों के साथ शैक्षणिक रूप से और एकीकृत करना है भावनात्मक रूप से।

29. बिना पढ़े स्कूल में भर्ती हुए बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा स्कूल?

एसएसए स्कूली बच्चों और उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा
उपयुक्त वर्ग में।

30. क्या कोई बच्चा किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कर सकता है?

हाँ। यदि एक स्कूल में एक बच्चे में प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है
उसके प्राथमिक को पूरा करने के लिए धारा 2 के उपखंड (iii) और खंड (v) में निर्दिष्ट स्कूल को छोड़कर किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करने का अधिकार होगा।
शिक्षा। एक बच्चा किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरित करने की मांग कर सकता है / उसे स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है एक स्कूल से दूसरे राज्य या बाहर किसी भी कारण से, ऐसे बच्चे के लिए
निर्दिष्ट स्कूल को छोड़कर किसी भी अन्य स्कूल में स्थानांतरण की तलाश करने का अधिकार होगा
उपखंड (iii) और धारा -2 के खंड (v) के, उसके प्राथमिक को पूरा करने के लिए शिक्षा।

31. वे कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें उम्र के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है

बच्चों के प्रवेश के लिए?

• जन्म, मृत्यु और विवाह अधिनियम, 1886 के तहत जारी किए गए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

(1886 का केंद्रीय अधिनियम VI) या

• अस्पताल या सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) रजिस्टर आंगनवाड़ी रिकॉर्ड दर्ज करें।

• माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र की घोषणा।

32. किसी विद्यालय में प्रवेश की अवधि कब तक बढ़ाई जाती है?

स्कूल में प्रवेश की तारीख से छह महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है

शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत।

33. क्या विस्तारित अवधि के बाद भर्ती हुए बच्चे के लिए कोई सहायता दी गई है?

हाँ। जब एक बच्चे को विस्तारित अवधि के बाद एक स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो एक उपयुक्त कक्षा में वह मेरी मदद के लिए पूरी पढ़ाई के लिए पात्र होगा।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण (ब्रिज कोर्स)।

34. क्या टीसी के उत्पादन में देरी या तो देरी या इनकार करने का आधार हो सकता है

एक स्कूल में एक बच्चे के लिए प्रवेश?

नहीं, टीसी के उत्पादन में देरी या तो देरी या इनकार करने का आधार नहीं होगी

एक स्कूल में बच्चे के लिए प्रवेश।

35. क्या एक हेड मास्टर बच्चे को टीसी जारी करने में देरी कर सकता है?

नहीं, हेड मास्टर T.C जारी करने में देरी नहीं कर सकते। मुखिया की अनुपस्थिति में

स्कूल के प्रभारी मास्टर को टी.सी. जारी करना चाहिए। देरी के मामले में हेड मास्टर।

प्रभारी उसके लिए लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा

या उसे।

36. RTE को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

आरटीई 2009 को लागू करने में मुख्य चुनौतियां हैं।

• उन बच्चों के प्रवेश में 25% आरक्षण सुनिश्चित करना जो ईडब्ल्यूएस या ओला से प्रभावित हैं

प्रवेश स्तर पर वंचित समूह या तो एल.के.जी. या Std I.

• आयु-उपयुक्त कक्षाओं में बच्चों का प्रवेश और विशेष प्रशिक्षण देना

(ब्रिज कोर्स)।

• मान्यता या अन-एडेड स्कूलों को सुव्यवस्थित करना।

• माता-पिता से उचित प्रतिनिधित्व के साथ स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना।

37. बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए माता-पिता को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा सकता है?

भारत जैसे देश में जहां माता-पिता का इतना बड़ा हिस्सा गरीब है, के लिए पलायन करते हैं
काम, समर्थन प्रणाली नहीं है, उन पर मजबूरी डालते हुए, सजा के साथ,
गरीब होने के लिए उन्हें दंडित करेगा- जो उनकी पसंद नहीं है। जैसा कि जाने-माने शिक्षाविद् जे.पी.नैक ने एक बार मजाकिया टिप्पणी की थी, अगर माता-पिता को जेल भेज दिया जाता है
अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजना, जेलों में बच्चों से ज्यादा माता-पिता हो सकते हैं
स्कूलों।

38 अगर माता-पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो क्या किया जाना चाहिए?

अधिनियम की धारा (10) यह माता-पिता का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें
बच्चे बिना किसी सजा के स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एस.एम.सी.
सदस्यों, स्थानीय अधिकारियों और बड़े पैमाने पर समुदाय को अनिच्छुक रहना चाहिए
माता-पिता अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। बाल श्रम और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए, सरकार
यह सुनिश्चित करना होगा कि वे काम करने और स्कूलों के लिए उपलब्ध कराने के लिए मजबूर न हों
उन्हें, शायद कई उदाहरणों में आवासीय। माता-पिता और समुदाय जो
पारंपरिक रूप से अपनी किशोरावस्था की लड़कियों को स्कूल जाने से मना करते हैं, या लिप्त रहते हैं
बाल विवाह के लिए राजी होना होगा, या बाल विवाह अधिनियम की आवश्यकता होगी
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नागरिक समाज के हस्तक्षेप यहां महत्वपूर्ण होंगे।

39 क्या अधिनियम केवल कमजोर वर्गों को लक्षित करता है?

नहीं, यह सार्वभौमिक है। कोई भी बच्चा जो भारत का नागरिक है, अमीर या गरीब; लड़का या लड़की;
किसी जाति, धर्म या जातीयता के माता-पिता के लिए यह अधिकार होगा। अगर एक अमीर माता-पिता
सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व वाले स्कूल में अपने बच्चे को भेजने का फैसला करता है,
उस बच्चे को भी सभी स्वतंत्र अधिकारों का अधिकार होगा। केवल वे बच्चे जो
उनके अभिभावकों द्वारा एक स्कूल में भेजा जाता है जो शुल्क (निजी सहायता प्राप्त / अनएडेड) लेता है
अधिकार को मुक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 8 (ए) के अनुसार, उनके अधिकार को आत्मसमर्पण करना; वे
उनकी शिक्षा के लिए सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकते
व्यय (वंचित बच्चों के लिए अनिवार्य 25% कोटा को छोड़कर)
अनएडेड स्कूलों के समूह और कमजोर वर्ग)।

40. क्या विकलांग बच्चों को अधिनियम में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है?

अधिनियम में कमियां हैं क्योंकि इसे अगस्त 2009 में पारित किया गया था
विकलांग बच्चे। की परिभाषा में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था
वंचित समूह, लेकिन अनजाने में छोड़ दिए गए थे। अधिनियम कहता है कि उनके
शिक्षा विकलांग अधिनियम ।996 के प्रावधानों का पालन करेगी, लेकिन वह अधिनियम
इसमें इतनी कमियां हैं कि इसमें मानसिक विकलांगता शामिल नहीं है। केंद्रीय
सरकार ने इन दोषियों को स्वीकार किया है और उचित लाने का वादा किया है
संसद के बजट 2010 सत्र में संशोधन के रूप में भी संशोधन करने के लिए
विकलांग अधिनियम ।996 उचित रूप से।

41. क्या गंभीर रूप से विकलांगों के लिए घर आधारित शिक्षा अंदर आएगी अधिनियम के दायरे?

नहीं, जैसा कि अधिनियम खड़ा है, शिक्षा विकलांगता की सभी श्रेणियों के लिए समावेशी होगी,
गंभीर और गहरा सहित। औपचारिक स्कूलों में अलग-अलग विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।

42. अभी स्कूलों में बच्चों के बारे में क्या नहीं है?

अधिनियम, धारा 4 में यह प्रावधान है कि सभी बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, कभी नहीं
नामांकित या ड्रॉप आउट (6-।4 आयु वर्ग में), को नियमित स्कूलों में उपयुक्त कक्षा में दाखिला लेना होगा, और उन्हें प्राथमिक पूरा करने का अधिकार होगा ।4 पार करने के बाद भी शिक्षा।

43. क्या वास्तव में बच्चों को उम्र के बराबर बनाया जा सकता है- दो में उपयुक्त वर्ग वर्षों?

एमवी फाउंडेशन जैसे समूहों द्वारा काम करने से पता चला है कि यह वास्तव में है
ऐसा करना संभव है। हालाँकि निश्चित लचीलेपन का उपयोग अवधि के बाद किया जा सकता है
विशेष प्रशिक्षण। यदि विशेष प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक बच्चा 15 वर्ष का है और उसे चाहिए
कक्षा 7 में आयु-योग्यता मानदंड द्वारा हो, लेकिन शिक्षक । स्कूल को लगता है कि यह
बच्चे के लिए बेहतर होगा, नकल करने के मामले में, कक्षा 6 में होना, वे सलाह दे सकते हैं
तदनुसार बच्चे / माता-पिता।

44. यदि 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को Std I में प्रवेश दिया जाता है और VIII Std को पूरा किया जाता है 14 साल बाद?

उन्हें कक्षा 8 तक की पूरी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, भले ही वे

उम्र से अधिक 14. यह लागू होगा, उदाहरण के लिए, एक आईएस वर्ष के लिए कभी भी बच्चे को नामांकित नहीं किया जाएगा कक्षा VIII को पूरा करने में 5 वर्ष लग सकते हैं, 18 वर्ष की आयु तक, या अधिक।

अपीलीय सरकार के कर्तव्य, स्थानीय स्वचालन और माता-पिता

45 उपयुक्त सरकार के कर्तव्य क्या हैं?

• प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

• पड़ोस के स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

• कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंधित बच्चे को सुनिश्चित करें और

उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और उनका पीछा करने से रोका जाता है

किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना।

• बुनियादी ढांचा, स्कूल भवन, शिक्षण स्टाफ और शिक्षण सामग्री प्रदान करें।

• विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

• प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक की निगरानी सुनिश्चित करें

प्रत्येक बच्चे द्वारा शिक्षा।

• मानदंडों और मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना

अनुसूची में निर्दिष्ट।

• शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

46. पड़ोस के स्कूल से आपका क्या मतलब है?

यह पड़ोस की सीमा पर क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसके भीतर एक स्कूल होगा

राज्य सरकार द्वारा स्थापित। के संबंध में यह एक किलोमीटर की दूरी है

कक्षा I से V तक के बच्चे और कक्षाओं में बच्चों के सम्मान में यह 5 किलोमीटर है

छठी से आठवीं तक।

47. राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं क्या हैं

पड़ोस के स्कूल की अनुपस्थिति?

जब पड़ोस की सीमा के भीतर एक स्कूल स्थापित करना संभव नहीं है

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (एक किमी तक प्राथमिक और 3 किमी से ऊपरी तक

प्राथमिक), और छोटे बस्तियों के बच्चे, राज्य सरकार बनाएगी
के लिए मुफ्त परिवहन और आवासीय सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था
प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

48. राज्य सरकार कब पड़ोस की सीमा में ढील देगी?

राज्य सरकार स्कूल का पता लगाएगी और उसकी सीमाओं को शिथिल करेगी
कठिन इलाके वाले स्थानों में पड़ोस; भूस्खलन का खतरा, या उचित की कमी
सड़कों और उनके घरों से स्कूल तक का रास्ता।

49. आप पड़ोस के स्कूल का पता कैसे लगाते हैं?

सहायक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के परामर्श से स्थानीय प्राधिकारी
या जिला शिक्षा अधिकारी 'स्कूल' के माध्यम से पड़ोस के स्कूल का पता लगाएगा मैपिंग '।

50. कौन मुफ्त और के लिए MHRD को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा अनिवार्य शिक्षा?

राज्य सरकार पूंजी और आवर्ती के वार्षिक अनुमान तैयार करेगी
अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए व्यय। यह भी आधारित है
शिक्षा प्रणालियों के मौजूदा स्तर और मानकों पर। तैयार प्रस्ताव
एमएचआरडी को प्रस्तुत किया जाएगा।

51. आरटीई से संबंधित खर्च कौन वहन करेगा?

के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से एक साझाकरण पैटर्न आ जाएगा
केंद्र और राज्य सरकारें। साझाकरण पैटर्न की समीक्षा की जानी चाहिए और
केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 की सिफारिश की।

52. बच्चों के रिकॉर्ड को कौन बनाए रखेगा?

स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखेगा
उनके जन्म से लेकर घर के सर्वेक्षण तक वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं
18 वर्ष की आयु तक विकलांग बच्चे।

53. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड क्या हैं?

क) बनाए रखने के लिए हर बच्चे के रिकॉर्ड शामिल हैं
b) नाम, लिंग, जन्म तिथि और जन्म स्थान।
ग) माता-पिता या अभिभावक का नाम, पता और व्यवसाय।

d) स्कूल का आंगनवाड़ी केंद्र जिसमें बच्चा उपस्थित होता है।

ई) बच्चे का वर्तमान पता।

च) वह कक्षा जिसमें बच्चा पढ़ रहा है और यदि शिक्षा बंद कर दी जाती है, तो
इस तरह के असंतोष का कारण।

छ) कमजोर वर्ग या वंचित समूह से संबंधित बच्चा।

54. प्रवासी परिवारों के बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे?

दो विकल्प हैं। यदि बच्चे विशेष रूप से छोटे माता-पिता के साथ प्रवास करते हैं
बच्चों, विस्थापित क्षेत्रों के स्कूलों को सभी बच्चों को स्वीकार करना होगा, भले ही वे नहीं कर सकते हों
उत्पादन प्रमाण पत्र। या अगर माता-पिता मांग करते हैं कि उनके बच्चों को दिया जाए
अपने मूल स्थान पर शिक्षा, जबकि वे काम के लिए दूर हैं, उपयुक्त हैं
सरकार। स्थानीय अधिकारियों को मुफ्त की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी
उनके लिए आवासीय विद्यालय।

55. किसकी जिम्मेदारी विशेष रूप से वंचित बच्चों को सुनिश्चित करना है
समूहों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है?

कानूनी रूप से यह राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों और की जिम्मेदारी है
SMCS। सिविल सोसाइटी समूहों और राष्ट्रीय द्वारा स्कूलों की निगरानी
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग और संरक्षण के लिए राज्य आयोग बाल अधिकार।

56. स्कूल का शैक्षणिक कैलेंडर कौन तय करेगा?

स्थानीय प्राधिकरण को ऐसा करने का अधिकार है। इससे संभावना खुल जाएगी
विकेंद्रीकृत स्कूल कैलेंडर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं।

57. प्री-स्कूल शिक्षा का क्या अर्थ है?

यह एस वर्ष से ऊपर के बच्चों को तैयार करने के लिए 'तत्परता कार्यक्रम' को संदर्भित करता है
प्रारंभिक शिक्षा के लिए।
राज्य सरकार पूर्वस्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी।
उन क्षेत्रों के लिए जहां आंगनवाड़ी या बलवाड़ी केंद्र नहीं हैं, प्रयास किए जाने चाहिए
पड़ोस के स्कूल में ही मुफ्त प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

58. मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की 'मजबूरी' किस पर है?

धारा 8 (स्पष्टीकरण) (1) और (2) के अनुसार, राज्य मुफ्त प्रदान करने के लिए मजबूर है
शिक्षा और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और के पूरा होने को सुनिश्चित करना

प्राथमिक शिक्षा। निहितार्थ यह है कि यदि 6-14 आयु वर्ग का बच्चा काम कर रहा है
एक चाय की दुकान, कृषि क्षेत्र और इतने पर, घर पर खाना बनाना या बस इधर-उधर भटकना
जब स्कूल कार्य कर रहा होता है, सरकार उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही होती है। यह
वह सरकार है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चे स्कूल और पूर्ण में भाग ले रहे हैं
प्राथमिक शिक्षा। यह आरटीई अधिनियम, 2009 और बाल श्रम अधिनियम 1986 का उल्लंघन करता है।

59. क्या मानदंडों और मानकों (अनुसूची) में सुधार या बदलाव किया जा सकता है?

हां, और इसके लिए संसदीय संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 20 के अनुसार यह हो सकता है
एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया गया। सबसे अधिक संभावना है, राष्ट्रीय
समय-समय पर अनुसूची की समीक्षा का कार्य सलाहकार परिषद को सौंपा जाएगा।

60. आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत किस तरह के स्कूल की कल्पना की गई है?

अधिनियम सभी स्कूलों के लिए न्यूनतम मानदंडों और मानकों को पूरा करता है,
सरकारी और निजी, एक अनिवार्य कार्यक्रम के माध्यम से। इसमें की संख्या शामिल है
प्रति वर्ष शिक्षण दिवस, प्रति दिन शिक्षण घंटे की संख्या, कमरों की संख्या,
शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तकालय, शौचालय, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता,
खेल का मैदान, मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक अनुपात, कक्षाओं में विषय शिक्षक
6 से 8, पार्ट टाइम आर्ट, वर्क और फिजिकल इंस्ट्रक्टर वगैरह। सरकारें और
निजी प्रबंधन के पास अपने मौजूदा स्कूलों को इन में अपग्रेड करने के लिए तीन साल हैं
न्यूनतम मानदंड, बैरिंग जो उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारों
तीन साल के भीतर सभी बच्चों को ऐसा पड़ोस स्कूल प्रदान करना है, अर्थात्
मार्च एस 1, 201 एस। निर्धारित मानदंड न्यूनतम हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ भी नहीं रोकता है
अनुसूची में सूचीबद्ध लोगों की तुलना में राज्य सरकारों / प्रबंधन के पास उच्च मानदंड हैं।
विशेष रूप से, अगर कुछ स्कूलों में पहले से ही उच्च मानदंड हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे
शेड्यूल का मिलान करने के लिए उन मानदंडों को कम करें।

61. अधिनियम में 'पड़ोस स्कूल' को परिभाषित क्यों नहीं किया गया है? इसे नियम पर क्यों छोड़ें?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कठोर राष्ट्रीय मानदंड के बजाय, राज्य इसे अपने संदर्भ में परिभाषित करते हैं
भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक यथार्थ। मॉडल नियम (4) इन वास्तविकताओं को इंगित करता है,
कठिन इलाके की तरह, भूस्खलन का खतरा, बाढ़, सड़कों की कमी, और सामान्य रूप से, के लिए खतरा
छोटे बच्चों को जहां 1 किमी और एस किमी का मानदंड कम किया जा सकता है।

62. 'स्क्रीनिंग प्रक्रिया' का क्या अर्थ है?

किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार मैं बच्चे की बातचीत या माता-पिता का साक्षात्कार
प्रवेश का उद्देश्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है। खंड 2 (0) अनुभाग के साथ
13 (2) (बी) इनमें से किसी भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है और केवल यादृच्छिक के लिए कॉल करता है
एक बच्चे को स्कूल में भर्ती करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाएं।

63. 'रैंडम प्रक्रिया' से आपका क्या तात्पर्य है?

यादृच्छिक प्रक्रिया का तात्पर्य है कि यदि स्कूल में आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या
उपलब्ध सीटों, एक खुली लॉटरी प्रणाली या किसी अन्य यादृच्छिक चयन से अधिक है
सीटों को भरने के लिए प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।

64. 'कैपिटेशन शुल्क' से क्या अभिप्राय है? क्या यह दंडनीय है?

Fee कैपिटेशन शुल्क 'वह धन या दान या सामग्री है जो बच्चे से लिया जाता है या
मानकों के लिए निर्धारित ट्यूशन शुल्क के अलावा अन्य प्रवेश पर अभिभावक। कोई स्कूल या नहीं
व्यक्ति किसी बच्चे को स्वीकार करते समय कोई भी कैपिटेशन शुल्क जमा करेगा और यह दंडनीय है। अगर
कोई भी स्कूल जो कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है वह प्रसिद्धि के साथ दंडनीय होगा जो दस तक बढ़ सकता है
कैपिटेशन शुल्क का समय।

65 क्या उम्र के प्रमाण की कमी प्रवेश से इनकार करने का आधार हो सकती है?

जन्म, मृत्यु और विवाह के तहत जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में
पंजीकरण अधिनियम 1886, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रमाण माना जाएगा
बच्चे की उम्र।

1. अस्पताल या सहायक नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर रिकॉर्ड।
2. आंगनवाड़ी रिकॉर्ड।
3. माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र की घोषणा।

66. क्या यह सच है कि किसी बच्चे को निष्कासित या विफल नहीं किया जा सकता है?

हां, कोई भी स्कूल, सरकारी या निजी प्राथमिक रूप से किसी भी बच्चे को हिरासत में नहीं रख सकता है या बाहर नहीं निकाल सकता है
मंच। दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही इस संबंध में फैसला दे चुका है
एक्ट। (7- अप्रैल 2010) सेंट जेवियर्स स्कूलों के खिलाफ दिल्ली। (सेक जी। ओ। एम। एन। १., ९, पैरा।
दिनांक 12.07.2010)।